# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

पीठासीन अधिकारी : हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 31/2022

राजेन्द्रसिंह पुत्र श्रवणकुमार जाति जाट निवासी बास भीमसरिया पटवार हल्का कोलिण्डा तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू

आवेदक

बनाम

रामेश्वर पुत्र मोतीराम जाति जाट निवासी बास भीमसरिया पटवार हल्का कोलिण्डा तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू

अनावेदक

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

वकील प्रार्थी – श्री विजयसिंह लालपुरिया
वकील अप्रार्थी – मोहम्मद रशीद खान

निर्णय

दिनांक 17.10.2023

संक्षेप मे आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम बास भीमसरिया पटवार हल्का कोलिण्डा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 322/149 भूमि अवस्थित है जिस पर प्रार्थी काबिज काश्त है। आवेदक अपनी खातेदारी भूमि में कृषि कार्य के लिये ख0न0 150 पक्की सड़क से अनावेदक की खातेदारी भूमि ख0न0 370/323 में से होकर आता जाता रहा है। अनावेदक ने अपने खेत में तारबंदी करके आवेदक के खेत में जाने वाले रास्ते को अवरूद्व कर दिया है। आवेदक को उसके खेत में आने जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। अन्त में प्रार्थी को जमीन जैर बहस में आने–जाने के लिये अप्रार्थी के हिस्से की भूमि में से रास्ता दिलवाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अनावेदकगण को जरिये सम्मन तलवाना नोटिस जारी कर प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो उतर देने के लिए निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपसंजात होकर जवाब पेश करने हेतु पाबन्द किया गया। साथ ही तहसीलदार बिसाऊ से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के प्रावधानों के तहत मौका जांच कर रिपोर्ट चाही गई। अनावेदक की ओर से एडवोकेट मोहम्मद रशीद खान ने वकालतनामा पेश किया परन्तु पर्याप्त अवसर के बाद भी जवाब पेश नहीं किया। तहसीलदार बिसाऊ ने अपने पत्रांक 318 दिनांक 24.08.2023 से अपनी जांच रिपोर्ट पेश की। तहसीलदार से प्राप्त जांच रिपोर्ट पर अनावेदक की ओर से आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश किया गया। आपत्ति प्रार्थना पत्र पर वकील आवेदक ने जवाब पेश नहीं कर सीधे बहस करनी चाही साथ ही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क पर भी बहस का निवेदन किया। वकील अनावेदक ने भी प्रार्थना पत्र 251क पर बहस करने में कोई आपत्ति नहीं की। विद्वान अधिवक्तागण की सहमती पर बहस आपत्ति प्रार्थना पत्र व प्रार्थना पत्र 251क पर बहस श्रवण की गई।

विद्वान अधिवक्ता अनावेदक ने आपत्ति प्रार्थना पत्र पर बहस के दौरान कथन किया कि तहसीलदार बिसाऊ ने बिना मौका जांच किये रिपोर्ट तैयार की है इसलिये मौका रिपोर्ट पक्षकारों की उपस्थिति में की जावे। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी (आवेदक) ने दौराने बहस कथन किया कि मैं

हमेशा से अपने खेत में आने जाने हेतु इसी रास्ते का उपयोग करता आ रहा हूं और यही मार्ग लघुतम है जो कि अनावेदक की भूमि के सीमा के सहारे–सहारे है और रास्ते में जाने वाली भूमि के बदले भूमि देने में भी सहमत हूं। इसलिये पुनः मौका रिपोर्ट लिये जाने का कोई औचित्य नहीं है। आपत्ति प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र 251क पर विद्वान अधिवक्तागण की बहस श्रवण की गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराया तथा अपने खेत ख0न0 322/149 में आने जाने हेतु खेत ख0न0 370/323 में से नजरी नक्शें में दर्शाये अनुसार मार्क ए से बी 20 फीट चौड़ा रास्ता दिलवाये जाने का निवेदन किया। साथ ही रास्ते में जाने वाली भूमि के बदले भूमि दिये जाने में भी सहमती व्यक्त की। विद्वान अधिवक्ता अनावेदक ने दौराने बहस कथन किया कि उनकी भूमि में आवेदक का कभी कोई रास्ता नहीं रहा आवेदक जबरदस्ती रास्ता कायम करवाना चाहता है। इसलिये प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

तहसीलदार बिसाऊ ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक 318 दिनांक 24.08.2022 में अंकित किया है कि ख0न0 322/149 व ख0न0 370/323 पूर्व में एक ही खातेदार की खातेदारी में थे, जो विभाजन से पृथक–पृथक दर्ज हुये है विभाजन में रास्ते का प्रावधान नहीं किये जाने के कारण आवेदक द्वारा रास्ता चाहा गया है। राजस्व रिकार्ड में आवेदक के खेत में आने जाने हेतु कोई कटानी रास्ता दर्ज नहीं है। आवेदक इसी खसरा नम्बरान में से आता जाता रहा है। ख0न0 322/149 में आने जाने हेतु ख0न0 370/323 में से ही रास्ता दिया जाना उचित है जो कि निकटतम है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251क के नियम 1(ख) में स्पष्ट है कि "कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतो तक पहूंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारीत या चौड़ा करना चाहता है" – और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबंन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि –

1. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है और
2. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहूंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व किया गया है–

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सींमाकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रेक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि से होकर, और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लधुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भाग को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नय मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों, तहसीलदार की मौका रिपोर्ट एवं विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। प्रश्नगत प्रकरण में आवेदक ने अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु खेत ख0न0 370/323 में से रास्ता चाहा गया है। तहसीलदार की

रिपोर्ट के अनुसार खेत ख0न0 370/323 व 322/149 पूर्व में एक ही खातेदार की खातेदारी में दर्ज था तथा विभाजन के दौरान रास्ते का प्रावधान नहीं रखने से रास्ते की मांग की गई है। विभाजन में रास्ते का प्रावधान रखा जाकर ही जोत का विभाजन सह खातेदार में किये जाने का प्रावधान है प्रश्नगत प्रकरण में विभाजन के दौरान रास्ते का प्रावधान नहीं रखना विधिक त्रुटि रही है। जिससे खातेदार के समक्ष रास्ते को लेकर विवाद पैदा हुआ है। इसके बावजूद आवेदक रास्ते में आने वाली भूमि के बदले भूमि देने में सहमत है। इसलिये अप्रार्थी का मौका रिपोर्ट पर आपत्ति का कथन उचित प्रतीत नहीं होता। इसलिये अप्रार्थी की ओर से मौका रिपोर्ट पर आपत्ति का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है तथा तमाम साक्ष्य सबूतों के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

## निर्णय

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत स्वीकार किया जाता है। आवेदक को खेत खसरा नम्बर 322/149 में आने–जाने के लिये खेत खसरा 370/323 की दक्षिण सीमा के सहारे–सहारे पूर्व से पश्चिम 4 मीटर चौड़ा रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का आदेश दिया जाता है तहसीलदार बिसाऊ को निर्देशित किया जाता है कि रास्ते में आने वाली भूमि के बदले भूमि आवेदक से अनावेदक संख्या 1 को दी जाकर राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता कायम किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.10.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17/10/23

(हवाई सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
मलसीसर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर